182

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰ II–नया पो॰ सं॰–36/ 2008–3266/पटना, दिनांक– 1-12-2011

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,

वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – वित्त विभाग *

विषय – मधुबनी जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी की स्थापना की स्वीकृति, प्रस्तावित संस्थान में निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 2494.00 लाख (चौबीस करोड़ चौरानवे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त निर्माण कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त रू॰ 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विमुक्त करने तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू॰ 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्त्तक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्त्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने मधुबनी जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी की स्थापना की स्वीकृति, प्रस्तावित संस्थान में निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 2494.00 लाख (चौबीस करोड़ चौरानवे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त निर्माण कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त रू॰ 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विमुक्त करने तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू॰ 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्त्तक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्त्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने स्वीकृति प्रदान की है।

2. वित्तीय वर्ष 2010–11 में विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, योजना बजट के मुख्यशीर्ष– "4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0403– नये पोलिटेकनिकों की स्थापना एवं वर्त्तमान पोलिटेकनिकों का उन्नयन" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य इकाई में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड–एस 4202021040403 है।

3. वित्त विभाग के पत्रांक– वि. (डा.से.)–2/03–7036 वि(2), दिनांक 26.09.2007 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान कोषागार द्वारा खाता अन्तरण के माध्यम से किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी तथा उसे भवन निर्माण विभाग के सामान्य डिपोजिट शीर्ष "8782–उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन–102–पब्लिक वर्क्स रेमिटेन्स (1)" में जमा की जायेगी जिसका विपत्र कोड– के 8782001020002 है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2010–11 में निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार के अर्धसरकारी पत्रांक– D.O.No.22-7/2009-TS.IV, दिनांक 22.01.2009 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– F.No.22-42/ 2009-TS.IV, दिनांक 30.6.2009 के आलोक में संस्थान के भवन निर्माण हेतु उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन रू॰ 800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि से तथा अवशेष राशि राज्य योजना से व्यय किया जायेगा।

8. इस पोलिटेकनिक की स्थापना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1062(6)/रा॰, दिनांक 09.8.2010 के द्वारा निःशुल्क हस्तांतरित मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा अररिया संग्राम, थाना सं॰–142, खाता–1166, खेसरा–2009, रकवा–3.72 एकड़, पोखर भिन्डा, अनाबाद बिहार सरकार एवं खेसरा–1986, रकवा–2.50 एकड़, पोखर भिन्डा, अनाबाद बिहार सरकार भूमि (जिसमें कोशी प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग का जीर्ण–शीर्ण भवन अवस्थित है) कुल 6.22 एकड़ भूमि पर की जायेगी।

9. इस संस्थान के लिए विभिन्न कोटि के भवनों का निर्माण, सीतामढ़ी पोलिटेकनिक के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गए प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, कराया जायेगा।

10. इस योजना की स्वीकृति, दिनांक 17.08.2010 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में (मद संख्या–42), प्रदान की गई है जो संचिका संख्या– वि॰प्रा॰ II नया पो॰ सं॰–36/2008 के पृष्ठ संख्या–15/टि॰ पर अंकित है।

11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है। वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– वि॰प्रा॰ II नया पो॰ सं॰–36/2008 के पृष्ठ संख्या– 18/टि॰ पर प्राप्त है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नीलकमल)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

01/12

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पत्रांक– 6/खा0म0 मधु0–15/2010 /रा०, पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– वित्त विभाग।

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.08.2010 के मद संख्या–35 में दी गई स्वीकृति के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा अररिया संग्राम थाना सं0–145, खाता–1166, खेसरा–2009, रकवा–3.72 एकड़, पोखर भिन्डा, अनाबाद बिहार सरकार एवं खेसरा सं0–1986 रकवा–2.50 एकड, पोखर भिन्डा अनाबाद बिहार सरकार भूमि (जिसमें कोशी प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग का जीर्ण–शीर्ण भवन अवस्थित है) कुल 6.22 एकड़ (छः एकड़ बाईस डिसमिल **भूमि पौलिटेकनिक संस्थान की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

2. (i) स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

(ii) स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि खेसरा सं0–2009 एवं 1986 के बीच उपलब्ध भूमि पर पहुँच पथ का निर्माण हो।

3. अन्य शर्त्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोवस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष–0029 भू–राजस्व–101–भू–राजस्व कर–0001–भूमि राजस्व–75–10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड–आर0–0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुरेश पासवान)
सरकार के उप सचिव।

D:\Sanjeev\Sanlekesh\Rajyadesh\Rajaadash-Madhubani-09.08.2010.doc

निबंधित डाक से

ज्ञापांक–6 / खा0म0 मधु0–15 / 2010.............................. / रा0 पटना– 15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या–02 / 2010–11(झंझारपुर अंचल) संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0 / –
(सुरेश पासवान)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6 / खा0म0 मधु0–15 / 2010.............................. / रा0 पटना– 15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को उनके पत्रांक–655 / रा0, दिनांक–30.07.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुरेश पासवान)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6 / खा0म0 मधु0–15 / 2010 1062 (6) / रा0 पटना– 15, दिनांक– 9/8/10

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/8/10
(सुरेश पासवान)
सरकार के उप सचिव।

पत्रांक– 6/ स्था० भ० मधु० 15/10
9366(6)रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० सी० अशोकवर्धन
प्रधान सचिव।

सेवा में,

आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल
जिला पदाधिकारी, मधुबनी

पटना, दिनांक–14/7/10

विषय :– पौलिटेकनिक झंझारपुर से संबंधित अभिलेख अविलंब भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विषयांकित अभिलेख का विचारण एवं निष्पादन अविलंब किया जाना आवश्यक है।

अनुरोध है कि वरीय उप समाहर्त्ता के माध्यम से संबंधित अभिलेख अविलंब मुख्यालय भेजने का कष्ट करें। वे मुख्यालय में दो दिनों तक रह कर अनुसरणात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

14.7.10

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला राजस्व शाखा)

पत्र संख्या....................../जि0रा0

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
मधुबनी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

मधुबनी, दिनांक जुलाई, 2010 ई0।

विषय:- मधुबनी जिला में अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना के संबंध में ।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक वि0प्रा0(11) नया यो0सं0 36/2008--1626/पटना, दिनांक 07--06 2010

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु झंझारपुर अंचलान्तर्गत संग्राम–मौजा का प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर से प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है :-

क्र0	मौजा का नाम	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	खतियानी किस्म	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	संग्राम	145	1166	1986	11. 96डी.	पोखर का भिण्डा अनाबाद बिहार सरकार	सम्प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित 3.72 एकड़ में से 2.00 एकड़ पर्याप्त है । इस प्रकार 1–72 एकड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाली जमीन के अतिरिक्त बिजली बोर्ड का आवंटित जमीन में से खंडहर के रूप में 1--00 (एक) एकड़ कोशी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 2.50 एकड़ खाली उपलब्ध जमीन 1--00 यानि कुल 6--22 एकड़ जमीन का उपयोग अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान निर्माण हेतु किया जा सकता है। विदित है कि यह मुख्य एन0एच0-57 के सटे उपलब्ध है ।

अतएव, अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना के लिए वर्णित भूमि उपयुक्त है एवं उक्त भूमि में संस्थान की स्थापना हेतु अनुशंसा की जाती है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या....................../जि0रा0, मधुबनी दिनांक जुलाई, 2010 ई0
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या...220 गुप्त.../जि0रा0, मधुबनी दिनांक 3 जुलाई, 2010 ई0
प्रतिलिपि निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

समाहर्त्ता 2010
मधुबनी ।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि0प्रा0 (।।) नया पो0 सं0–36 / 2008 / 1626 / पटना, दिनांक– 7.6.2010

प्रेषक,

डा० श्रीभगवान सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
मधुबनी।

विषयः– मधुबनी जिला में अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना के संबंध में।

प्रसंगः– 1. विभागीय पत्रांक–1700 दिनांक–22.08.2006

2. आपका पत्रांक–2265 / राजस्व, दिनांक–05.10.2006

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मधुबनी जिला में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक 5–10 एकड़ भूमि के संबंध में आपके द्वारा प्रसगाधीन पत्र से संसूचित किया गया था कि झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत औधोगिक प्रागंण का 9.28 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है।

2. उक्त भूमि को उपलब्ध कराने हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को विभाग द्वारा अनेको बार अनुरोध किया गया है, परन्तु उनके स्तर से सूचना विभाग को अप्राप्त है। इसके अभाव में मधुबनी जिला में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है।

3. सरकारी भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति मे निजी भूमि दाताओं द्वारा दानस्वरूप प्रदत्त भूमि पर दानकर्त्ता या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित किये जाने के संबंध में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2015 दिनांक–24.07.09 (प्रति संलग्न) के आलोक मे भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्थान की स्थापना हेतु उक्त चिन्हित भूमि के विकल्प के रूप में 5–10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

निदेशक। 7.6.10

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि0प्रा0(।।) नया पो0 सं0–36 / 2008 1198 पटना / दिनांक : 30/4/2010

प्रेषक,

डा0 श्रीभगवान सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

निदेशक तकनीकी विकास,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर औद्योगिक प्रांगण में पालिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1524 दिनांक : 16.04.2010

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1524 दिनांक 16.04.2010 के प्रसंग में जिला पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक 2265 दिनांक 05.10.2006 तथा पत्रांक 283 दिनांक 18.02.2009 की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
30.4.10
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि0प्रा0(।।)नया पो0 सं0–36/2008/ 901 /पटना, दिनांक– 26-03-2010

प्रेषक,

डा० श्रीभगवान सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

26/3/10
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर औद्योगिक प्रांगण में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलाधिकारी मधुबनी के पत्रांक–2265 दिनांक–05.10.2006 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु 9.28 एकड़ भूमि की उपलब्धता संसूचित की गई थी। बियाडा की उक्त संसूचित 9.28 एकड़ भूमि को पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित करने का अनुरोध पत्रांक–283 दिनांक–18.02.2009 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा किया गया। परन्तु अभी तक विभाग को भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है।

अतएव अनुरोध है कि मधुबनी जिला में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध 9.28 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित किये जाने के लिए बियाडा को आवश्यक दिशा–निर्देश देने की कृपा की जाय। इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक'– वि0प्रा0(।।)नया पो0 सं0–36/2008/ 901 /पटना, दिनांक– 26-03-2010

प्रतिलिपि–सरकार के निवेश परामर्शी, पुराना सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

29/3/10

ज्ञापांक– वि0प्रा0(।।)नया पो0 सं0–36/2008/ 901 /पटना, दिनांक– 26/3/10

प्रतिलिपि– श्री नीतिश मिश्रा, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, को उनके पत्र दिनांक–17.03.2010 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

25.3.10

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

नीतीश मिश्रा
पूर्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सदस्य
बिहार विधान सभा

(13)

सेवा में,
माननीय मंत्री
विज्ञान एवम् प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल पोलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में एक पोलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना संबंधी विषय लम्बे समय से विचाराधीन है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक **2265**/राजस्व दिनांक **5** अक्टूबर, **2006** द्वारा सरकार के विज्ञान एवम् प्रावैधिकी विभाग के उप निदेशक (योजना) को अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यह सूचित किया था कि झंझारपुर नगर प्रचायत क्षेत्र के औद्योगिक प्रांगण हेतु अधिग्रहित भूमि का अंश जो वर्त्तमान में परती पड़ी है, कॉलेज के लिए उपयुक्त है। साथ ही उन्होने उक्त पत्र में यह भी अंकित किया था कि जबतक कॉलेज के लिए स्थायी भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तबतक कॉलेज को कार्यकारी बनाने के उद्देश्य से झंझारपुर में उपलब्ध सरकारी क्रिड़ा भवन, जिसमें 5 बड़ा पक्का हॉल है, को इस कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। सुलभ संकेत हेतु उक्त पत्र की छायांप्रति संलग्न है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि झंझारपुर जो मधुबनी जिला का सबसे पुराना अनुमंडल है। विकास की दौड़ में एक पिछड़ा क्षेत्र है, जहां व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर नयी पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते है।

अतः अनुरोध है कि कृपया लोहित में पोलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना संबंधी विषय पर अग्रतर कारवाई हेतु विभाग को आदेश देने का कष्ट करेंगे ताकि इस पिछड़े क्षेत्र को विकासोन्मुख बनाया जा सके।

सादर

भवदीय

Nitish Mishra
नीतीश मिश्रा 17.3.10

आवास : 12, बेली रोड, पटना - 800 001
दूरभाष : 0612-2215218, E-mail ; mishranitish@sify.com

संचिका सं0वि0प्रा0।।–नया डिप्लोमा सं0 30/08...../

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

–: संकल्प :–

विषयः– **निजी भूमि दाताओं द्वारा दानस्वरूप प्रदत्त भूमि पर दानकर्त्ता का उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।**

राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण एवं स्वयंसिद्ध है। इसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप समसामयिक एवं गुणवत्ता आधारित तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना अपरिहार्य है। परन्तु भूमि की अनुपलब्धता संस्थानों की स्थापना में एक बहुत बड़ी बाधा है। उक्त आलोक में भूमि दाताओं से दान स्वरूप प्रदत्त भूमि पर दान कर्त्ता या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए निजी दान कर्त्ताओं से निम्न शर्त्तों के तहत दान स्वरूप भूमि प्राप्त करने का निर्णय लिया है:–

(i) वर्तमान में दान स्वरूप भूमि मात्र अभियंत्रण महाविद्यालयों या पोलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के लिए प्राप्त की जाएगी;

(ii) ऐसे जिलों/स्थानों पर दान स्वरूप भूमि प्राप्त की जाएगी, जहाँ राज्य सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है;

(iii) इसके लिए ऐसी भूमि प्राप्त की जाएगी जो ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए उपयुक्त हो तथा विवादरहित हो;

(iv) दान स्वरूप प्राप्त होने वाली भूमि का रकबा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हो;

(v) दान स्वरूप प्राप्त होने वाली भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा;

(vi) ऐसी भूमि पर स्थापित किये जाने वाली तकनीकी संस्थानों का नामकरण निजी दाताओं या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा, बशर्त्ते कि जिनके नाम से नामकरण का प्रस्ताव हो, उनका चरित्र उत्तम रहा हो;

(vii) तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु न तो दानकर्त्ता का कोई कोटा होगा और न ही तकनीकी संस्थानों के संचालन में उनका कोई अधिकार या हस्तक्षेप होगा। संस्थानों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा बिहार सरकार के नियमानुसार प्रावधानों के अनुसार होगा;

(viii) राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमि दान स्वरूप प्राप्त किये जाने का निर्णय लिये जाने पर ही ऐसी भूमि बिहार के राज्यपाल के पदनाम से निबंधित करायी जाएगी।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।**

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 /पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 /पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, भू–अर्जन एवं राजस्व विभाग,बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 / पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि– निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलीटेक्निक/राजकीय महिला पोलीटेक्निक/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)

पत्रांक—450/ [redacted] गोपनीय

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
मधुबनी ।

झंझारपुर, दिनांक 1 वीं जुलाई 2010

विषय:— मधुबनी जिला में अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना के संबंध में ।

प्रसंग:— ज्ञापांक 1050 दिनांक 28. 6. 2010

महाशय, उपरोक्त विषयक [redacted] प्रासंगिक विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि वांछित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, झंझारपुर के पत्रांक 506 दिनांक 1. 7. 10 से प्राप्त हुआ । प्रस्ताव के आधार पर प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	किस्म जमीन	अभ्युक्ति
1.	संग्राम	145	1166	1986	11-96	डि0 पोखर	—सम्प्रति का [redacted] अनाबाद बिहार सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित 3-एकड़ में से 2-एकड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था—न के लिये प्रय है। इस तरह से 1—72 एकड़ औद्यो प्रशिक्षण संस्था वाली जमीन के अतिरिक्त [redacted] जमीन में से अतिरिक्त रूप में उपलब्ध 1-0 एकड़ कोशी प्रोजेक्ट के लिये आवंटित 2-5 एवं खाली [redacted] उपलब्ध जमीन 1-0 यानि कुल 6—22 एकड़ जमीन का उपयोग अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान निर्माण हेतु किया जा सकता है । विदित है कि 46 [redacted] रा—उच्च एन0एच0 —57 के बगल में उपलब्ध है । अत: अभियंत्रण संस्था के स्थापना के लिये वांछ रा—उच्च बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है । 2— खाली एवं उपयुक्त है
2.	[illegible] 308		416	2722 2747 1562 1558 2773 2743	4—94 1/2		

(हस्ताक्षर)

-2-

3-	[illegible]ारपुर	01	6845 6858 6857 6843 6844 6841 6859 6860 6861 6862 6863 6864	7-00 एकड़	अनुमंडल कार्यालय हेतु अर्जित 55-10 एकड़ के विरुद्ध 7-00 एकड़ भू-खंड खाली एवं उपयुक्त है।

क्रमांक 1 से 3 तक के संबंधित अंचल अधिकारी, [illegible]ारपुर से प्राप्त विस्तृत जाँच प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनुमंडल पदाधिकारी

[illegible]ारपुर।

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰(।।)य1–01/2005 283 /पटना, दिनांक– 18-2-2009

प्रेषक,

कुमार सुरेन्द्र,
उप निदेशक (योजना)

सेवा में,

सचिव,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
प्रथम तल, उद्योग भवन,
पूर्वी गांधी मैदान, पटना।

विषय : बिहार के विभिन्न जिलों में पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 2839/डी/310/डी॰ओ॰/वियाडा/08 दिनांक 09.05.2008

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके संदर्भित पत्र के साथ प्राधिकार के पास उपलब्ध भूमि का ब्योरा संलग्न नहीं था। तथापि संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा पोलिटेकनिकों की स्थापना हेतु झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र (मधुबनी जिला) में 9.28 एकड़, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र (औरंगाबाद जिला) में 9.36 एकड़ तथा जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र (मुंगेर जिला) में 7.76 एकड़ बियाडा की भूमि की उपलब्धता संसूचित (छायाप्रति संलग्न) की गई है।

अतः अनुरोध है कि औरंगाबाद, झंझारपुर तथा जमालपुर में संसूचित बियाडा की उक्त भूमि को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित करने तथा अन्य स्थानों में पोलिटेकनिक की स्थापना हेतु बियाडा की भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

17/2/09

(कुमार सुरेन्द्र)

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्रांक – वि० प्रा० (II) य[1] 01/06 /पटना, दिनांक –

प्रेषक,

श्री सतीश नारायण,

संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक (तकनीकी)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

विषय :– केन्द्रिय सहायता अन्तर्गत राज्य में पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 06 दिनांक 02.01.2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से राज्य के तीन जिलों यथा कटिहार, मधुबनी एवं पश्चिमी चम्पारण में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु राशि की माँग की गयी थी। परन्तु इस संबंध में वांछित सूचना/राशि अभी तक अप्राप्त है। अतः अनुरोध है कि राज्य के कटिहार, मधुबनी एवं प० चम्पारण जिलों में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता की प्रथम किस्त की राशि शीघ्र विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– ...../पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– स्थानीय आयुक्त, बिहार, पटना भवन, 5 कौटिल्य मार्ग नई दिल्ली।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 913 /पटना, दिनांक 8.3.2007

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/07
संयुक्त सचिव।

पत्रांक 2265 /राजस्व

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

सेवा में,

श्री कुमार सुरेन्द्र,
उप निदेशक (योजना),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

मधुबनी, दिनांक 5 वीं अक्टूबर, 2006 ई० ।

विषय :- केन्द्रीय सहायता से राज्य में पोलिटेकनिक संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- आपके पत्रांक वि०प्रा०(II)य।-01/2005-1700, दिनांक 22-8-06

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में मधुबनी जिलान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार सूचित करना है कि :-

(क) स्थायी भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन :- झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक प्रांगण हेतु अधिगृहित भूमि में से परती पड़ी भूमि रकवा 9.28 एकड़ का चयन किया गया है । इस भूमि का अधिग्रहण उद्योग विभाग के लिये किया गया था । यह भूमि पोलिटेकनिक संस्थान के लिये उपयुक्त है तथा यह जमीन बिहार सरकार की है ।

(ख) अस्थायी रूप से भवनादि/संरचनादि की उपलब्धता :- शैक्षणिक वर्ष 2005-06 से कार्यकारी बनाने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से भवनादि/संरचनादि की उपलब्धता के हेतु झंझारपुर अनुमण्डल मुख्यालय में अनुमण्डल पदाधिकारी के आवास से पश्चिम दिशा में एक क्रीड़ा भवन है जिसमें 5 बड़ा पक्का हॉल है जो सरकारी है जिसमें तत्काल अस्थायी रूप से पोलिटेकनिक को कार्यरत किया जा सकता है ।

यह सूचनार्थ प्रेषित है ।

विश्वासभाजन,
4.10.06
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।